



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]
No. 29]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1984/माघ 5, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 1984/MAGHA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1984

का० आ० 38 (अ):—अर्थव्यवस्था में संसाधनों के निर्धारण के लिए प्रशासनिक नियंत्रण का वर्तमान ढांचा सामान्यतः 1950 के दशक के मध्य में उस समय बनाया गया था जब परोक्ष नियंत्रण के अन्य महत्वपूर्ण तरीके उपलब्ध नहीं थे। तब से बैंककारिता और वित्त के संस्थागत आधारभूत ढांचे में अत्यधिक विकास हुआ है। आर्थिक परामर्शदात्री परिषद ने सकारण की है कि सरकार सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंककारिता और वित्तीय निवेश में उच्च साधनों का अधिक कारगर उपयोग करने की सम्भावना पर विचार करे। हमारी आर्थिक नीति में वास्तविक नियंत्रण से वित्तीय नियंत्रण में सम्भावित परिवर्तन एवं अन्य सम्बद्ध मुद्दों से सम्बद्ध मिद्दालों की जांच करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों की एक उच्चाधिकार प्राप्ति समिति गठित करने का निर्णय किया है:—

1. श्री एम० नरसिम्ह, प्रधानाचार्य,
एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कालेज, द्वैराबाद —अध्यक्ष
2. डा० बिमल ज्ञानान, विशेष सचिव और मुख्य
आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय —सदस्य

1343 GI/83—1

3. डा० ए० के० सेनगुप्त —सदस्य
प्रधान मंत्री के विशेष सचिव
4. डा० पी० रंगाराजन, उप गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई —सदस्य
5. डा० ए० बागची —सदस्य
विशेष कार्य अधिकारी,
आर्थिक कार्य विभाग
समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे:—

(क) नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने और उसकी कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी नीति में वास्तविक नियंत्रण से वित्तीय नियंत्रण में परिवर्तन तथा सामाजिक दृष्टि से अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए बैंक व्यवसाय और निवेश वित्त पोषण प्रणालियों के उपयोग में सम्भावित परिवर्तन में अन्तर्निहित मिद्दालों की जांच करना,

और

(ख) अन्य कोई विषय जो (क) में वर्णित विषय पर विचार करने से सम्बद्ध हो।

समिति 30 नवम्बर, 1984 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[संख्या ए० 48011/6/84-प्र० II]

पी० के० कोल, सचिव,

(1)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 1984

S.O. 38(E) :—The present apparatus of administrative controls for allocation of resources in the economy was largely built up throughout middle of the 1950's at a time when other forms of indirect strategic controls were not available. Since then there has been tremendous growth in the institutional infrastructure in banking and finance. The Economic Advisory Council has recommended that the possibility of making far more effective use of the commanding heights in banking and investment financing for achieving socially desirable results should be considered by the Government. In order to examine the principles of a possible shift in our economic policy from physical controls to financial controls and other related issues, the Government has decided to constitute a high powered committee with following members :—

- | | |
|--|-----------|
| 1. Shri M. Narasimham,
Principal,
Administrative Staff College,
Hyderabad | —Chairman |
| 2. Dr. Bimal Jalan,
Special Secretary and
Chief Economic Adviser,
Ministry of Finance | —Member |

- | | |
|---|-----------------------|
| 3. Dr. A.K. Sengupta,
Special Secretary to
Prime Minister | — Member . |
| 4. Dr. C. Rangarajan,
Deputy Governor,
Reserve Bank of India,
Bombay | — Member |
| 5. Dr. A. Bagchi,
Officer on Special Duty,
Department of Economic Affairs | —Member-
Secretary |

The terms of reference of the Committee will be as follows:—

- (a) To examine the principles involved in a possible shift in using the banking and investment financing systems for achieving socially desirable results in this respect in our policy from physical controls to financial controls with a view to streamlining the control system and improving its efficiency, and
- (b) Any other matter which may be relevant to the consideration of (a)

The Committee will submit its report by November 30, 1984.

[No. A. 48011/6/84—Admn. II]

P.K. KAUL, Secy.